


परिपत्र
संशोधन

इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ1(37)एमएण्डई/अप्रमुवस/2020/2760 दिनांक 18.08.2020 के बिन्दु संख्या 2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।


बिन्दु संख्या 2:- "प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई, राजस्थान, जयपुर द्वारा चयनित साईट में सैम्पलिंग पद्धति से संबंधित उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन द्वारा किये गये मूल्यांकन में अथवा तृतीय पक्ष द्वारा किये गये सैम्पलिंग मूल्यांकन में यदि रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता 39.1 से 40 प्रतिशत तक पायी जाती है तथा संबंधित उप वन संरक्षक उक्त मूल्यांकन के परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वे उस साईट का शतप्रतिशत मूल्यांकन करवाने हेतु अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन को अपने नियंत्रण अधिकारी (संबंधित मुख्य वन संरक्षक) के माध्यम से मूल्यांकन रिपोर्ट जारी होने की दिनांक से एक माह के भीतर मय तर्क के साथ निवेदन कर सकेंगे। अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) राजस्थान, जयपुर की सहमति उपरान्त उस साईट का शत प्रतिशत मूल्यांकन विशेषकर अन्य इकाई से करवाया जावेगा। मूल्यांकन इकाई द्वारा किये गये मूल्यांकन की रिपोर्ट अंतिम रूप से मान्य होगी तथा तदानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में पाई जायेगी।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(37)एमएण्डई/अप्रमुवस/2020/2500-2628

दिनांक 07-10-2020

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रबोधन एवं मूल्यांकन),
राजस्थान, जयपुर